

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 981 /पटना, दिनांक: 11.06.15
सं०सं०- 4 तक०/औ०प्र०नीति 2011/25/2015
प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना।
महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र।

विषय : औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्य-कर/वैट संबंधी प्रोत्साहन दिये जाने हेतु निर्गत संकल्प संख्या-2446 दिनांक 15.07.2011 में संशोधन के संबंध में।

1- उक्त संकल्प संख्या-2446 दिनांक 15.07.2011 की कंडिका-(vi) के बाद निम्नलिखित नई कंडिकाएँ- (vik), (vix), (vig) एवं (vix) अन्तःस्थापित की जाएगी-

“(vik) कार्यरत इकाइयों के लिए वैट/प्रवेश-कर की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत तक देय होगा। ब्रिवरी एवं डिस्टलरी के केस में कार्यरत इकाइयों को 25 प्रतिशत वैट की प्रतिपूर्ति एवं अधिकतम सीमा पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत देय होगा। जिन इकाइयों ने विनिश्चित सीमा से अधिक लाभ पूर्व में ले चुके हैं, उनसे पुनः वसूली नहीं की जाएगी।

(vix) वैसी नई इकाइयाँ जिनका कुल पूँजी निवेश 200 करोड़ रू० से कम है, उनके द्वारा सी०ए०सी०टी० मद में भुगतान की गई राशि को वैट की 80 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी लेकिन यह वैट प्रतिपूर्ति राशि विनिश्चित अधिकतम राशि पूँजी निवेश के 300 प्रतिशत की सीमा के भीतर देय होगी।

(vig) बृहत् प्रक्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में आने के बाद, प्रवेश-कर मद में भुगतान की गई राशि को, वैट की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूँजी निवेश का 300 प्रतिशत की सीमा के भीतर देय होगी।

(vix) वैसी औद्योगिक इकाई जिन्हें वैट नहीं देना पड़ता है लेकिन उत्पादन के लिए मंगाए गए कच्चे माल पर प्रवेश-कर लगता है, उन्हें प्रवेश-कर में भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।”

3- उक्त संकल्प संख्या-2446 दिनांक 15.07.2011 में वर्णित पासबुक में संशोधन कर दी गई है तथा उक्त संकल्प में एनेक्चर-I के रूप में जोड़ा जाएगा। आवेदक द्वारा संशोधित पासबुक(एनेक्चर-I) में वाणिज्य-कर विभाग को भुगतान किये गये करों का ब्योरा देना होगा।

- 4- उक्त संकल्प संख्या-2446 दिनांक 15.07.2011 इस हद तक संशोधित होगा एवं संकल्प की अन्य कंडिकारें यथावत रहेंगी।
- 5- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संशोधन से संबंधित संकल्प सं०-09, दिनांक-05.01.15 के निर्गत होने की तिथि 05.01.2015 के प्रभाव से उपर्युक्त संशोधन प्रभावी है।
- अनुलग्नक- एनेक्चर-।

विश्वासभाजन

11/11/06

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 981 /पटना, दिनांक :

11.06.15

सं०सं०- 4 तक०/औ०प्रो०नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

11/11/06

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 981 /पटना, दिनांक :

11.06.15

सं०सं०- 4 तक०/औ०प्रो०नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इन्दिरा भवन, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त समिति हेतु एक सदस्य कृपया मनोनीत किया जाय।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 981 /पटना, दिनांक :

11.06.15

सं०सं०- 4 तक०/औ०प्रो०नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि : सभी विभागाध्यक्ष/वाणिज्य-कर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/ प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/निदेशक, उद्योग/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि०, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, एम.एस.एम.ई.डी.आई., पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 981 /पटना, दिनांक-

11.06.15

सं०सं०- 4 तक०/औ०प्रो०नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/06/2015

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ANNEXURE-I (w.e.f. 05.01.2015)

(a) Name of the Units

Address

(b) Registration No. & Date under VAT-

Entry Tax-

CST-

(c) Item of Registration under VAT –

Entry Tax –

CST-

(d) Item for which reimbursement claimed (VAT/ Entry Tax/ CST)

(e) Date of Production

(f) Period & Related Financial Year-

(g) Any reimbursement claimed during the period (give details)

(h) Admissible Amount

Signature of Issuing Officer
With seal

PASS BOOK

Sl. No.	Month	Amount of Tax Paid				Date of Payment & Branch of Bank	Amount of reimbursement claimed during the Period	Name & Designation of Certifying Officer	Signature with Date & Seal
		VAT	Entry Tax	CST	Total				
		i	ii	iii	iv				
1	2	3				4	5	6	7

Note: The Pass Book must be signed by officer of concerned Commercial Tax Circle.